राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1794/2016/भरतपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हीरालाल तेल उद्योग,
एफ–30 बृज औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर. .....प्रत्यर्थी.

2. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 2301/2016/भरतपुर.

मैसर्स हीरालाल तेल उद्योग,
एफ–30 बृज औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भरतपुर. .....अप्रार्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से.

श्री ओ.पी.गुप्ता
अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04/12/2017

निर्णय

1. उपरोक्त प्रथम अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 112/सीएसटी/15–16/अ.प्रा./भरतपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2015 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) के तहत् कर व ब्याज को यथावत् रखते हुए शास्ति राशि के बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा भी वेट अधिनियम की धारा 83(4) के अन्तर्गत द्वितीय क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किया गया हैं।

2. उपरोक्त अपील एवं क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना–पत्र के पक्षकार, तथ्य एवं विवाद बिन्दु समान होने से इन दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवसायी की वर्ष 2007–08 की कर निर्धारण पत्रावली सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम,

लगातार.....2

वृत प्रतिकरापवंचन, भरतपुर से प्राप्त करते हुए उसमें अंतर्राज्यीय बिक्री से संबंधित प्राप्त "सी" फार्म के सत्यापन हेतु पश्चिमी बंगाल जाकर की गई, प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार "सी" फार्म असत्यापित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलौच्य अवधि के उक्त बोगस एवं असत्यापित पाये गये "सी" फार्म पर पूर्ण दर से कर देयता मानते हुए नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवहारी की ओर से उनके प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि में जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित "सी" फार्म विभाग में प्रस्तुत किया जाना एवं रियायती दर से कर चुकाया जाना मानते हुए समस्त संव्यवहारों पर प्रत्यर्थी का पूर्ण दर से कर जमा कराने का दायित्व निर्धारित किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी द्वारा कुल बिक्री को असत्यापित "सी" फार्म में से विक्रय राशि एवं अन्य खर्चों की राशि कम करते हुए उक्त असत्यापित "सी" फार्म के पेटे प्रत्यर्थी द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर 2 प्रतिशत से अन्तर कर, ब्याज एवं धारा 61 के तहत अन्तर कर की दुगुनी शास्ति आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, अपीलीय अधिकारी ने अपीलीय आदेश पारित करते हुए आरोपित कर व ब्याज राशियों को यथावत रखा एवं शास्ति के बिन्दु पर अपील को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित की, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा अपील एवं व्यवहारी द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किये गये हैं।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बतलाया। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जो सी फार्म प्रस्तुत किया गया था, वह बोगस था एवं व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा जानबूझकर असत्य एवं कूटरचित "सी" फार्म विभाग में प्रस्तुत किये थे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या 41/2015 से 45/2015 निर्णय दिनांक 15.11.2017** को उद्धरित करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकारते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

6. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि उनके द्वारा समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज लेखा पुस्तकों में कर रखा है एवं उनकी किसी भी प्रकार के करापवंचन की उनकी मंशा नहीं थी। अपने कथन के

लगातार.....3

समर्थन में उन्होंने **माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 720/2011/भरतपुर टाटा श्री भगवती ऑयल एवं अन्य निर्णय दिनांक 25.06.2015** एवं **एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193/2012 मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर निर्णय दिनांक 13.07.2015** को उद्धरित करते हुए शास्ति को अपास्त करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड एवं व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य यह है कि व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत "सी" फार्म सम्बन्धित राज्य (पश्चिमी बंगाल) के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा असत्यापित होना पाया गया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कही भी व्यवहारी के संव्यवहार को बोगस प्रमाणित नहीं किया गया था। अतः अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है। व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन के संबंध में व्यवहारी द्वारा दिये गये दृष्टांत **माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 720/2011/भरतपुर टाटा श्री भगवती ऑयल एवं अन्य निर्णय दिनांक 25.06.2015** इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है। **एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 193/2012 मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोधपुर निर्णय दिनांक 13.07.2015** के निर्णय में प्रस्तुत घोषणा पत्रों के आधार पर विक्रेता पर करारोपण नहीं करने का निर्णय रिवीजन पिटिशन में दिया गया था, परन्तु इसमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) में दी गयी इस अनिवार्य शर्त, कि विक्रेता व्यवहारी को धारा 8(1) की कर दर का लाभ केवल वैध घोषणा पत्र 'सी' के प्रस्तुत होने पर ही दिया जायेगा, उसे असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं किया गया है। इस तरह अधिनियम की धारा 8(4) एवं 8(1) के प्रावधानों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा invalid घोषित नहीं किया गया है, एवं हस्तगत प्रकरण में विभाग के पास "सी" फार्म को बोगस प्रमाणित करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। **माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या 41/2015 से 45/2015 निर्णय दिनांक 15.11.2017** के आलौक में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य